राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 905/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान–मैसर्स राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 4–एसए–24, जवाहर नगर, जयपुर बनाम् वा. क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, जोन–द्वितीय, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत् निर्धारण वर्ष **2011–12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2014 (भूलवश अपील आदेश में दिनांक 17.12.2014 अंकित)** के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से ₹89,43,608/– को विवादित कर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, ₹61,73,005/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम गोगरा, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 17.06.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अग्रिम कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि के दौरान निष्पादित संविदा कार्यों की कुल प्राप्तियों रूपये ₹82,23,11,536/– में से रूपये ₹47,85,68,656/– का इन संविदा कार्यों के सब कॉन्ट्रेक्टर्स को भुगतान किया गया था। अपीलार्थी द्वारा पंजीकृत सबकान्ट्रेक्र्स को भुगतान की गई शेष संविदा राशि रूपये ₹47,95,68,656/– को अपीलार्थी व्यवहारी की कुल प्राप्तियों के पण्यावर्त में से कम नहीं की जाकर इस राशि पर ई.सी. फीस का दायित्व अपीलार्थी के विरूद्ध कायम कर, मांग कायम की गयी है। अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध मुक्ति शुल्क के आरोपण की उक्त कार्रवाही दोहरा करारोपण की श्रेणी में आने के कारण अविधिक एवं अनुचित है। अपने कथन के समर्थन में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1993) 88 एस.टी.सी. 204 मैसर्स गैनन डंकरले एण्ड कम्पनी एण्ड अदर्स बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 17.11.1992 व माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 1244/2007/जयपुर निर्णय दिनांक 01.09.2010 व अपील संख्या 76/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 25.04.2011** को प्रोद्धरित कर, प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, वसूली योग्य मांग राशि ₹61,73,005/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया । विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा	

लगातार.....2

19.06.2014

पारित आदेशों का समर्थन कर, कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अवार्डेड संकर्म संविदा कार्यों हेतु विधिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार मुक्ति शुल्क के प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के कारण इन कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप उसके द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्राप्त की गई समस्त राशि मुक्ति शुल्क से आच्छादित है। अतः उक्त प्राप्त राशि पर मुक्ति शुल्क की देयता व्यवहारी की होने से इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गई मुक्ति शुल्क पुर्णतया विधिक एवं न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय आदेश व अपील आधारों का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया । प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 व राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के प्रावधानों के तहत् पारित होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 22(2ए) का अवलोकन किया गया जिसमें यह स्पष्ट है कि यदि मुख्य संविदाकर्ता समस्त प्राप्त किये गये संविदा कार्यों की प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क (ई.सी.) अधिनियम के प्रावधानानुसार प्राप्त करता है तो सब कॉन्ट्रेक्टर्स द्वारा किये गये संविदा कार्य पर कोई कर देयता नहीं होगी। परन्तु यदि सब कॉन्ट्रेक्टर द्वारा मुख्य संविदाकर्ता से प्राप्त संविदा कार्य पर ई.सी. प्राप्त करता है तो भी मुख्य संविदाकर्ता को उसके कुल पण्यावर्त में से सब कॉन्ट्रेक्टर को दिये गये संविदा कार्य की छूट देय नहीं होगी । अतः अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के मद्देनज़र प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं हाने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल) 19.6.2014
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
19/06/14